FIR No.-837/2021, P.S-Khetri
मु.नं. CIS No. BA/188/2021
CNR NO- RJJH070016532021
Date- 23-12-2021

न्यायालय– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं राज0।

पीठासीन अधिकारी	:	दीपक कुमार, **आर0जे0एस0**
एफआईआर नं.	:	837/2021 पुलिस थाना खेतड़ी
सी.आई.एस. नं0–	:	बीए/188/2021
सी.एन.आर. नं0–	:	RJJH07-001653-2021
अपराध धारा–	:	354क, 354डी, 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता

मनोज कुमार पुत्र श्री सांवरमल, उम्र 34 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 19 खेतड़ी, थाना खेतड़ी, जिला झुंझुनू।

–––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य

जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 द0प्र0सं0
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 837/2021 पुलिस थाना खेतड़ी नगर
अंतर्गत धारा–354क, 354डी, 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थिति :
1. श्री सुभाष बबेरवाल, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित।

आदेश **दिनांकः– 23–12–2021**

01. मुझ पीठासीन अधिकारी के पास अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी का अतिरिक्त चार्ज होने से प्रार्थी/अभियुक्त **मनोज कुमार** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र धारा 437 दण्ड प्रक्रिया संहिता का जरिये अधिवक्ता श्री सुभाष बबेरवाल के मेरे समक्ष न्यायालय में पेश किया, जिसकी नकल सहायक अभियोजन अधिकारी को दिलवायी गई। केश डायरी संबंधित थाने से प्राप्त हुई।

02. हस्तगत प्रकरण में घटना के तथ्य इस प्रकार है कि–परिवादिया श्रीमती कविता पत्नी श्री मुकेश सोनी ने मय अपने सगे देवर श्री बृजमोहन के उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 16.12.2021 को करीब 03.00 बजे वह अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी तभी उसका देवर मनोज सोनी पुत्र सांवरमल सोनी आया व उससे बदतमीजी करने लगा व उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश में वह मकान के बाहर आ गई और थोड़ी देर में उसकी सास आई ओर उसे बचाया, परिवादिया की साड़ी पकड़कर खींची व उसके साथ मारपीट की तब उसकी सास ने आकर उसे छुड़ाया इत्यादि। उक्त आशय की तहरीर रिपोर्ट पर पुलिस थाना खेतड़ी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट 837/2021,

अपराध अन्तर्गत धारा–323, 341, 354ख भारतीय दण्ड संहिता में दिनांकित 16.12.2021 को पंजीबद्ध की गई, जिस पर उक्त आरोपी मनोज कुमार को आज दिनांक 23.12.2021 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया गया एवं 15 योम जे0सी0 रिमाण्ड हेतु निवेदन किया गया, जिस पर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से हस्तगत जमानत का यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

03. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 437 दण्ड प्रक्रिया संहिता जरिये अधिवक्ता पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है, प्रार्थी/अभियुक्त के प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा प्रार्थी के द्वारा अपराध कारित करने के संबंध में कथन अभिव्यक्त नहीं किया है तथा एफआईआर के अवलोकन से ही मामला प्रथम दृष्टया झूठा प्रतित होता है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा है में व उससे बरामदगी करनी व पुछताछ शेष नहीं है एवं श्रीमान को जमानत पर रिहा करने का असीम अधिकार है। वह परिवार में अकेला कमाने वाला है, न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार के भुखे मरने की नौबत आ जायेगी। प्रार्थी/अभियुक्त की उसके गांव में चल व अचल सम्पति मोजूद है इसलिए उसके कही फरार होने का कोई अन्देशा नहीं है। वह उचित जमानत मुचलके पेश करने हेतु तैयार है, अतः उसे जमानत का लाभ दिये जाने की कृपा करें।

04. प्रार्थना पत्र की प्रति सहायक अभियोजन अधिकारी को दिलाई गयी, सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना गया, जिनके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

05. जमानत आवेदन के सम्बन्ध में उभय पक्ष की बहस सुनी गई, बहस के दौरान उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया। मुताबिक केस डायरी अभियुक्त का पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड शुन्य है।

06. हस्तगत प्रकरण में केस डायरी के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी/अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 354ख भारतीय दण्ड संहिता के तहत गिरफ्तार किया गया था एवं संबंधित पुलिस थाना से केस डायरी प्राप्त हुई जिसके मुताबिक प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा–354क, 354घ, 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध घटित होना पाया गया है जिनमें से धारा–354क, 354घ भारतीय दण्ड संहिता के अपराध अजमानतीय एवं गंभीर प्रकृति के अपराध है तथा इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा दिलाना तथा महिलाओं की गरिमा को सुरक्षित रखना है, यदि ऐसे अपराधों के लिए अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया गया तो निश्चित ही इससे समाज में विपरीत सन्देश प्रसारित होगा। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए

मामले के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

––::आदेश::––

07. अतः प्रार्थी–अभियुक्त **मनोज कुमार पुत्र श्री सांवरमल, उम्र 34 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 19 खेतड़ी, थाना खेतड़ी, जिला झुंझुनू** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 द0प्र0सं0, **एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज** किया जाता है।

(दीपक कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी

08. आदेश आज दिनांक 23–12–2021 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दीपक कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी